"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 जनवरी 2016—— माघ 2, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2016

क्रमांक 796/डी. 27/21-अ/प्रारू./छ.ग./2016. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (क्रमांक 1 सन् 2016) एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश
(क्र. 1 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2016

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यत:, राज्य विधान मण्डल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2016 कहलायेगा.

(2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे.

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) का अस्थायी रूप से संशोधन किया जाना.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) इस अध्यादेश की धारा 3 से 4 में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

प्रथम अनुसूची का संशोधन.

3. (1) मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची के सरल क्रमांक आठ के कॉलम (2) में, अंक एवं शब्द "रुपये 30.00 प्रति सीट" के स्थान पर, अंक एवं शब्द "रुपये 60.00 प्रति सीट" प्रतिस्थापित किया जाये.

(2) मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची के सरल क्रमांक आठ क के शीर्षक में, विराम चिन्ह एवं शब्द ", क्रेन" का लोप किया जाये.

द्वितीय अनुसूची का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग-एक के सरल क्रमांक 7 के पश्चात्, तत्स्थानी कॉलम में निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाये, अर्थात् :-

"8	क्रेन एवं यांत्रिक खुदाई वाहन, (आगे की ओर बेलचा और पीछे की ओर खोदने वाला हस्त सहित अथवा अन्यथा संस्थापित काम करने वाली मशीन), जो सामान्य रूप से जेसीबी अथवा अन्य निर्माताओं द्वारा निर्मित खोदक मशीन के रूप में जानी जाती हो.	यान की कीमत का 7%"

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2016

क्रमांक 796/डी. 27/21-अ/प्रारू./छ.ग./2016. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 जनवरी, 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 1 of 2016)

THE CHHATTISGARH MOTORYAN KARADHAN (SANSHODHAN) ORDINANCE, 2016

An Ordinance futher to amend the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991).

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :-

Short title and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Ordinance, 2016.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may by notification, appoint.

The Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam 1991 (No. 25 of 1991) to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991) (hereinafter referred to as the Principal Act), shall have the effect, subject to the amendments specified in Section 3 to 4 of this Ordinance.

Amendment of FIRST SCHEDULE.

3. (1) In column (2) of serial number VIII of FIRST SCHEDULE of the Principal Act, for the figure and words "30.00 per seat", the figure and words "60.00 per seat" shall be substituted.

(2) In the heading of serial number VIII A of FIRST SCHEDULE of the Principal Act, the punctuation and word ", CRANES" shall be omitted.

Amendment of SECOND SCHEDULE.

4. After serial number 7 of Part-I of SECOND SCHEDULE of the Principal Act, the following entries in corresponding columns shall be added, namely :-

"8.	Crane and Mechanical excavator vehicle (with a shovel at the front and a digging arm at the rear or otherwise installed working machinery) popularly known as JCB or excavator made by other Manufacturers.	7% of the cost of vehicle"